73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं

73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों, उनके निर्माण और संरचना से संबंधित है।

73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। पंचायती राज संस्थाएं देश में शासन का तीसरा स्तर हैं अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार।

73वें संशोधन से पहले संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को एक पारित संदर्भ के रूप में वर्णित किया गया था। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत, राज्य ग्रामीण शासन के लिए पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू की गई थी, लेकिन यह प्रणाली पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं की जा सकी क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं थी। पी आर. आई को जमीनी लोकतंत्र की संस्थाओं के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए 73वें संशोधन की आवश्यकता थी।

राज्य पंचायती राज अधिनियम

राज्य सरकारें 73वें संशोधन अधिनियम के तहत सूचीबद्ध प्रावधानों का अनुपालन करती हैं। तथापि, ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों और शक्तियों को हस्तांतरित करने के विवेकाधीन प्रावधानों के संबंध में सभी राज्यों में भिन्नताएं होती हैं।

पेसा अधिनियम, 1996 - प्रावधान

पेसा एक केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून है – अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में इस कानून को लागू करने के लिए आदिवासी बहुल राज्यों (संविधान की अनुसूची V में सूचीबद्ध) को एक साल की समय सीमा के साथ 24 दिसंबर 1996 को अधिनियम लागू हुआ।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में जनजातीय आबादी 10 करोड़ है। ये आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

देश की अनुसूचित जनजाति की आधी से अधिक आबादी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात राज्यों में केंद्रित है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी उनकी मौजूदगी है।

भारत के संविधान द्वारा जनजातीय आबादी को दी गई सुरक्षा के बावजूद, अनुसूचित जनजाति अभी भी देश में सबसे पिछड़ा जातीय समूह है। वे मानव विकास के तीन महत्वपूर्ण संकेतकों – शिक्षा, स्वास्थ्य और आय पर बहुत नीचे हैं।

PESA आदिवासी समुदाय को (अनुसूची V – क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को दी गई विशेष शक्तियों के माध्यम से) प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए पारंपरिक सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देते हुए – जनजातीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में मौलिक स्व–शासन शक्तियाँ देता है।

प्रावधान	प्रावधान
ग्राम सभा	**अनिवार्य:** ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना जिसमें पंचायत के क्षेत्र में आने वाले गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत लोग शामिल हों। **विवेकाधीन:** ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य।
त्रस्तरीय व्यवस्था	**अनिवार्य:** पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर विद्यमान है। **विवेकाधीन:** 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य के लिए मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के प्रावधान को समाप्त किया जा सकता है।
प्रत्यक्ष चुनाव	**अनिवार्य:** पंचायत की सभी सीटें पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनाव के माध्यम से चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाती हैं। **विवेकाधीन:** संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य को मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का सदस्य बनाया जा सकता है।
अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण	**अनिवार्य:** किसी भी पंचायत में उनकी जनसंख्या के आधार पर पंचायत में सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यालय के रूप में सींटे आरक्षित की जाती है। **विवेकाधीन:** पंचायत के सदस्यों के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में और उनकी जनसंख्या के आधार पर पंचायत के विभिन्न स्तरों में अध्यक्ष के लिए सीटें आरक्षित हैं।
महिलाओं के लिए आरक्षण	**अनिवार्य:** पंचायत और अध्यक्ष के कार्यालय में सदस्यता का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है। **विवेकाधीन:** सीटों को उनकी जनसंख्या के आधार पर पंचायत के सदस्यों के रूप में महिलाओं के पक्ष में आरक्षित किया जाता है।
कार्यकाल	**अनिवार्य:** पंचायत का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है
विघटन	**अनिवार्य:** यदि कोई पंचायत 5 वर्ष की समाप्ति से पहले भंग कर दी जाती है, तो 6 महीने के अन्दर नए चुनाव कराने होते हैं
अधिकार प्राधिकरण और जिम्मेदारी	**अनिवार्य:** संशोधन अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं है **विवेकाधीन:** • पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएगी। • पंचायतों को उचित स्तरों पर शक्तियों और उत्तरदायित्व के हस्तांतरण का प्रावधान • ग्राम कार्य योजना की तैयारी • हर घर जल योजना का कार्यान्वयन क्योंकि यह ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषय का हिस्सा है • पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और शुल्क लगाने के लिए अधिकृत करना

पंचायती राज संस्थाओं के कार्य

ग्राम पंचायत के बुनियादी कार्यों में शामिल हैं:

- ग्राम सभा द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम पंचायत के लिए वार्षिक विकास योजना तैयार करना
- विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक बजट तैयार करना
- प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत जुटाना
- गांवों के सामान्य संपत्ति संसाधनों – आम रास्ते, जल निकायों, आदि से अतिक्रमण हटाना।
- घरों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी अन्य चीजों के साथ सामुदायिक योगदान सुनि चित करना
- ग्राम पंचायत के गांवों से संबंधित वार्षिक आंकड़े बनाए रखना
- ग्राम पंचायत की संपत्तियों को सूचीबद्ध करना और उनका रखरखाव करना
- मानव जाति, मवेशियों, अन्य प्राकृतिक संसाधनों आदि की जनसंख्या जनगणना के लिए जनगणना संचालन में सहायता करना।
- हर घर, स्कूल और आंगनबाडी, आश्रमशाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पंचायत के लिए कार्यक्रम तैयार करना
- जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए ग्राम कार्य योजना तैयार करना
- विभिन्न सर्वेक्षणों को सुगम बनाना
- सामान्य संपत्ति संसाधनों पर नियंत्रण रखें
- नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता और मात्रा की सुरक्षित पेयजल सुविधा सुनिश्चित करना
- ग्रामीणों के लिए बुनियादी सुविधा के रूप में सुरक्षित स्वच्छता और गंदला जल प्रबंधन का प्रावधान करना
- जल स्रोत स्थिरता की दिशा में कार्य
- उन लाभार्थियों की पहचान करना जिन्हें पंचायत में नल से पानी कनेक्शन प्रदान किया जाना है
- पंचायत में जल प्रदूषण और जल जनित रोगों के प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाना
- गांवों में उपलब्ध आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना
- कार्यक्रम के तहत बनाए गए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के संधारण, मरम्मत, संचालन और रखरखाव के लिए और सुरक्षित नल के पानी की कनेक्टिविटी उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाकर ग्राम पंचायत की आय को जुटाना
- पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना और जल स्रोत को मजबूत करने की दिशा में काम करना
- पानी समिति का गठन करना
- तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) को प्रस्ताव जमा करना
- पानी समिति के लिए बैंक खाता खोलना और सामुदायिक योगदान का संग्रह
- गांव/ बहुल–गांव बुनियादी ढांचे के निर्माण में सामुदायिक योगदान प्राप्त करने के लिए अलग बैंक खाता खोलना
- एकत्र की गई निधि का उपयोग संचालन एवं रख–रखाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा
- पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बैंक खाते के विवरण को सार्वजनिक करना।

हर घर जल
जल जीवन मिशन

पंचायती राज संस्था

Key Resource Centre (KRC) - Jal Jeevan Mission

Action for Community Empowerment (ACE)
Email: aceindia.org@gmail.com, Web: www.acengo.org